

साफ नीयत – सही विकास



हुनर को मिलेगी नई पहचान



विश्वकर्मा
श्रम सम्मान
योजना



प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के पारम्परिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढीकरण करने की नई पहल

योजनान्तर्गत आच्छादित पारम्परिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा।

परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित है। सेवा/व्यवसाय के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा।

-: योजना की पात्रता :-

1. आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन करने की तिथि से की जायेगी।
3. आवेदक को पारम्परिक कारीगरी जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची अथवा दस्तकारी व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिए।
4. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त किये जाने हेतु किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है।
5. परिवार का केवल एक सदस्य ही योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्र होगा। परिवार का आशय पति अथवा पत्नी से है।
6. योजनान्तर्गत पात्रता हेतु जाति एक मात्र आधार नहीं होगा। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु ऐसे व्यक्ति भी पात्र होंगे जो परम्परागत कारीगरी करने वाली जाति से भिन्न हों। ऐसे आवेदकों को परम्परागत कारीगरी से जुड़े होने के प्रमाण के रूप में ग्राम प्रधान, अध्यक्ष नगर पंचायत अथवा नगर पालिका/ नगर निगम के सम्बन्धित वार्ड के सदस्य द्वारा निर्गत किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. हस्तशिल्पी पहचान पत्र धारक परिवार के सदस्यों को उपरोक्त प्रस्तर 6 में उल्लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा।

